अंतिम अद्यतन 01.07.2024

नियमावली - 4

कार्यों के निर्वाहन के लिए निर्धारित मानदंड

[धारा 4 (1) (बी) (iv)]

कुछ मानदंड नीचे दिए गए हैं:

चित्रण

कार्यकलाप	**समय सीमा / मानदंड**	**टिप्पणी**
I) जाँच पड़ताल		
1) एफआईआर का पंजीकरण २) साक्षी की परीक्षा 3) अपराध स्थल पर जांच अधिकारी का दौरा 4) सबूत का संग्रह 5) साइट प्लान तैयार करना 6) अभियुक्तों की गिरफ्तारी 7) स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग 8) पुलिस / न्यायिक हिरासत रिमांड प्राप्त करना 9) खोज 10) जब्ती ११) केस डायरी आदि तैयार करना 12) चार्जशीट दाखिल करना	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार	
II) पुलिस नियंत्रण कक्ष		
सार्वजनिक कॉल प्राप्त करने के लिए 27 पूछताछ चैनल, 13 महिला हेल्पलाइन (1091 और 1096) सहित 100		

टेलीफोन लाइनें हैं। पीसीआर वैन के लिए औसत प्रतिक्रिया समय 8 से 10 मिनट है और यह सड़क और यातायात की स्थिति पर भी निर्भर करता है।

III) सतर्कता: -

सतर्कता शाखाएं विभिन्न प्राधिकरणों के माध्यम से और सीधे जनता से बड़े पैमाने पर शिकायतें प्राप्त करती हैं। सीएमटीएस, सीपीजीआरएएमएस, सीवीसी, एलजी लिसनिंग पोस्ट और पीजीएमएस कार्यक्रम के कामकाज पर लगभग इन शिकायतों की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। शिकायतें, जो प्रकृति में गंभीर हैं, सतर्कता पूछताछ के माध्यम से सतर्कता शाखा द्वारा निपटा दी जाती हैं।

क्र.सं.	**कार्यकलाप**	**समय सीमा**	**टिप्पणी**
1	शिकायत और डायरी मिली	दो दिन	बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होने के कारण और उसी को चिह्नित करने में समय लगता है।
2	अद्वितीय नंबर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रकोष्ठ में शिकायत जाएगी	एक दिन	-
3	जवाब प्रस्तुत करने के लिए शिकायत सम्बद्ध प्रधान सहायक के पास जाएगी	उसी दिन	-
4	जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शिकायत ईओ के पास जाती है	उसी दिन	-
5	जांच ईओ द्वारा पूरी की जाएगी	तीन सप्ताह	-
6	जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाएगी	उसी दिन	-
7	कार्यवाईकरने के लिए पूछताछ वापस मिली	एक दिन	-
8	प्रधान सहायक द्वारा की गई कार्रवाई	आदेशों के अनुसार उसी दिन। 2-3 दिनों के भीतर कार्यवाईहो सकती है। डीई के मामले में एक और सप्ताह होगा।	
9	आवेदक को जानकारी	4 सप्ताह के बाद	

IV) आवागमन: -

यातायात का विनियमन	सभी यातायात अधिकारियों / पुरुष द्वारा	रात - दिन
सूचना- ट्रैफिक उल्लंघन के लिए नोटिस, यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी / फील्ड स्टाफ द्वारा विधिवत भरे गए नोटिस स्लिप की प्राप्ति के बाद ही जारी किए जाते हैं, जिसमें वाहन, दिनांक, स्थान और समय की संख्या निर्धारित प्रदर्शन में बताई गई हो। इन नोटिस पर्चियों को कंप्यूटर द्वारा स्कैन किया जाता है और प्रत्येक नोटिस का संपादन भी मैन्युअल रूप से किया जाता है। फिर केवल डाटाबैंक में रिकॉर्ड के अनुसार वाहनों के पंजीकृत मालिक को नोटिस जारी किए जाते हैं। नोटिस के माध्यम से ही 15 दिन का समय डिफॉल्टर को समझाने या उससे लड़ने के लिए दिया जाता है। वह उल्लंघन को स्वीकार करने या यातायात पुलिस को प्रतिनिधित्व देने या अदालतों में चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। सूचना शाखा यातायात द्वारा जारी किए गए नोटिसों के निपटान के लिए शाम के कोर्ट अलग-अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। **चालान -** **(1) योगिक चालान -** जिसके लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले को मौके पर ही जुर्माना देना पड़ता है। **(2) न्यायालयिक चालान -** जिसके लिए दस्तावेजों अर्थात लाइसेंस / पंजीकरण प्रमाण पत्र को यातायात पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त कर संबंधित अदालत में भेज दिया जाता है।	सभी यातायात पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ जनता द्वारा शिकायत कार्ड, एसएमएस, ई-मेल, हेल्प लाइन नं .011-25844444 और पुलिस नियंत्रण कक्ष नंबर 100 द्वारा। प्रधान सिपाही और ऊपर प्रधान सिपाही और ऊपर।	सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक (दिन या रात में किसी भी समय विशेष ड्राइव के माध्यम से)
ईमेल के माध्यम से	info@delhitrafficpolice.nic.in	रात - दिन।

V) विशेष शाखा

"दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा का(एपीपी शाखा) पासपोर्ट सत्यापन अनुभाग ऑनलाइन प्राप्त पासपोर्ट के सत्यापन से सम्बंधित है। पासपोर्ट आवेदन पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके),क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आर प ओ) और सम्बंधित दूतावास/ वाणिज्य दूतावास से सीधे टैबलेट पर प्राप्त होते हैं जिन्हें आवेदको के सत्यापन के लिए जांच अधिकारी (ई. ओ.)

को आवंटित किया गया है। सत्यापन पूरा करने के बाद, जांच अधिकारी सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करता है और इसे इंस्पेक्टर जोन को भेज देता है। उसके बाद इंस्पेक्टर जोन उचित सत्यापन के बाद उसे जोनल एसीपी को भेजता है। जो डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) का उपयोग करके सत्यापन रिपोर्ट को मंजूरी देता है और रिपोर्ट क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, विदेश मंत्रालय या संम्बंधित प्राधिकारी को सौंपता हैं। टैबलेट की शुरुआत के बाद से, पासपोर्ट सत्यापन को पूरा करना और 5 दिनों के भीतर संम्बंधित आरपीओ/प्राधिकरण को जमा करना आवश्यक है। प्रतिदिन औसतन 1800-2000 पासपोर्ट आवेदन ऑनलाइन प्राप्त होते हैं।

एपीपी शाखा "ओ" पास (अन्य देशों और अन्य राज्यों से सत्यापन क लिए प्राप्त पासपोर्ट आवेदन), एनओआरआई (भारत लौटने की कोई वाध्यता नहीं) और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, आरटीआई और ई-मेल से प्राप्त कार्यो की भी करती है। आवेदक इस कार्यालय की ई-मेल आईडी यानी dcp-splbranch-dl@nic.in और dpapp.sb@delhipolice.gov.in पर अपने प्रश्न लैंडलाइन नंबर यानी 011-23230577 पर भी पूछ सकते हैं।

VI) **विभागीय जांच प्रकोष्ठ**

दिल्ली पुलिस में विभागीय जांच प्रकोष्ठ की स्थापना भारत सरकार गृह मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा आदेश संख्या 14014/41/85- यूटीपी, दिनांक 09/04/86 के तहत की गई थी । वर्तमान में यह 8 वीं मंजिल, थाना बाराखंभा रोड बिल्डिंग, नई दिल्ली, पर कार्यरत हैं।

विभागीय जांच प्रकोष्ठ के कर्तव्य इस प्रकार हैं: -

1. सतर्कता जांच और ऐसी अन्य विभागीय जांचों से उत्पन्न होने वाली विभागीय जांचों का शीघ्र निपटान, जिन्हें पुलिस आयुक्त /विशेष पुलिस आयुक्त द्वारा समय- समय पर केंद्रीय रूप से इस प्रकोष्ठ की कार्यात्मक शक्ति और अन्य प्रशासनिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

2. विभागीय पूछताछ से संबंधित रिपोर्ट/ वापसी।

3. समय-समय पर दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के लिए "विभागीय जांच कैसे करें" पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।

विभागीय जांच के लिए प्राधिकार :-

(ए) दिल्ली पुलिस (दंड और अपील) नियम -1980 के नियम 14.4 के अनुसार अधीनस्थ रैंक के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू की जानी चाहिए । जिसके अनुशासनात्मक नियंत्रण के तहत संबंधित पुलिस अधिकारी को उस समय तैनात किया जाता है।जब अनुशासनात्मक कार्यवाई शुरू करने का निर्णय लिया जाता है।

(बी) जिला / इकाइयाँ पुलिस मुख्यालय की पूर्वानुमति के बिना सीधे विभागीय जाँच प्रकोष्ठ को विभागीय जांच (Departmental Enquires) नहीं भेज सकते है। इसे ध्यान मे रखते हुए, उपायुक्त जिला/ इकाई विशेष आयुक्त /सतर्कता को विभागीय जांच को उसकी मंजूरी के लिए विभागीय जांच प्रकोष्ठ मे स्थानांतरित करना आवश्यक है के सम्बन्ध मे उचित अनुरोध भेज सकते है और यदि विशेष आयुक्त /सतर्कता नहीं है तो विशेष आयुक्त /प्रशासन को भेजेंगे। ऐसे सभी अनुरोध सम्बंधित अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त/ विशेष आयुक्त के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। हालांकि व्यापक मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है जिसके आधार पर विभागीय जांच (Departmental Enquires) को विभागीय जांच प्रकोष्ठ मे स्थानांतरित करने के कार्यवाई शुरु कर सकते हैं।

समय सीमा / मानदंड

स्थायी आदेश संख्या Vig. & Pub. TPT/07/2021, के अनुसार, यदि संभव हो तो जांच अधिकारी दोषी पर आरोपों के सारांश की सेवा की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर विभागीय जांच पूरी करने का प्रयास करेगा । दिल्ली पुलिस (दंड और अपील) नियम, 1980, अधीनस्थ रैंक के सभी अधिकारिओं और कर्मचारियों यानि कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक लागू होते हैं ।